

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2022

का.आ. 254.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक, निदेशक नामित करती है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्तमान निदेशक का नाम	प्रस्तावित व्यक्ति का नाम
	(1)	(2)	(3)
1.	इंडियन बैंक	श्री एस. के. पाणीग्रही	डॉ आदित्य गैहा (जन्म तिथि: 4.1.1973)
2.	यूको बैंक	डॉ. तुली रॉय	श्री राजेश कुमार (जन्म तिथि: 26.9.1965)

[ईफा. सं. 6/3/2011 बीओ-I-पार्ट (1)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 2022

S.O. 254.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the Banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:-

	(1)	(2)	(3)
1.	Indian Bank	Shri S. K. Panigrahy	Dr Aditya Gaiha (date of birth: 4.1.1973)
2.	UCO Bank	Dr Tuli Roy	Shri Rajesh Kumar (date of birth: 26.9.1965)

[eF. No. 6/3/2011-BO-I-Part (1)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

का.आ. 255.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देबाशीष पण्डा, आईएएस (यूपी:87) (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार लाख पचास हजार रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा.सं. आर-16011/02/2020-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 2022

S.O. 255.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Debasish Panda, IAS (UP:87) (Retd.), former Secretary, Department of Financial Services to the post of Chairperson, Insurance Regulatory and Development Authority of India, on a consolidated pay package of four lakh fifty thousand rupees per month (without facility of house and car), initially for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the post, or till attaining the age of sixty-five years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. R-16011/02/2020-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

का.आ. 256.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राकेश जोशी, भूतपूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (डेब्ट कैपिटल मार्केट्स), भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक निदेशक (वित्त तथा निवेश) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. आर-16011/01/2020-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 2022

S.O. 256.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Rakesh Joshi, Former Executive Vice-President and Group Head (Debt Capital Markets), State Bank of India Capital Markets as Whole-time Member (Finance & Investment) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India, on a consolidated pay package of four lakh rupees per month (without facility of house and car), initially for a period of three years, with effect from the date of assumption of charge of the post or till attaining the age of sixty-two years, or until further orders, whichever is the earliest..

[F. No. R-16011/01/2020-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

का.आ. 257.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ सं. 25/2016) को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12012/30/2016-आईआर (बी-II)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 4th March, 2022

S.O. 257.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2016) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Lucknow* shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of *UCO Bank* and their workmen.

[No. L-12012/30/2016 -IR(B-II)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.